

बिहार सरकार
भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण,
बिहार, पटना।

सं०स०-01 / भू०स०अ०न्या० / वाहन-03 / 2025

दिनांक:-

भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, बिहार, पटना विभाग में वाहन की आपूर्ति हेतु निविदा

भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, बिहार, पटना के पदाधिकारियों के उपयोग हेतु मासिक भाड़े पर वाहन, जिनका निबंधन वाणिज्यिक वाहन के रूप में हो, की आपूर्ति हेतु निबंधित संस्थानों/फर्मों से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक-15.09.2026 के अपराह्न 06 बजे तक निबंधित/स्पीड पोस्ट/या हाथों-हाथ अथवा डाक द्वारा प्राप्ति शाखा में किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त किया जायेगा। प्राप्त निविदाओं को दिनांक-18.09.2026 के पूर्वाह्न 11 बजे विभागीय क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा, जिसमें निविदादाता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं।

मासिक भाड़े पर प्राप्त करने हेतु वाहन का ब्यौरा :-

क्र०सं०	वाहन का प्रकार/विवरण		संख्या
1	भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, बिहार, पटना के माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्यों के लिए।	इनोवा क्रिस्टा	03

तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग सीलबंद मुहरबंद लिफाफों में देना होगा। निविदा की शर्तों भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, बिहार, पटना के वेबसाईट <https://reat.bihar.gov.in/> पर या अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त किया जा सकता है।

ह०/-

(शैलेन्द्र कुमार राय)

निबंधक-सह-

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-01 / भू०स०अ०न्या० / वाहन-03 / 2025 -454

दिनांक:-31-08-2026

प्रतिलिपि: आई०टी प्रबंधक, भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, बिहार, पटना को न्यायाधिकरण कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

Shailendra Kumar Rai

31/8/26

निबंधक-सह-

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण,
बिहार, पटना।

(क) तकनीकी निविदा की शर्तें :-

1. निविदा को EMD के रूप में 1,00,000/-(एक लाख रुपये) मात्र का बैंक ड्राफ्ट, जो **राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निर्गत "निबंधक, भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, बिहार, पटना"** के पक्ष में देय हो, की मूल प्रति संलग्न करना होगा। बैंक ड्राफ्ट की स्कैन की गई कॉपी मान्य नहीं होगा। EMD की राशि निविदा के साथ प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।
2. एम.एस.एमई (MSME) में पंजीकृत फॉर्म को उक्त बोली प्रतिभूति जमा करने में छूट ले सकते हैं बशर्ते तत् संबंधित दस्तावेज की प्रति संलग्न करना होगा।
3. फॉर्म/एजेंसी का ESI एवं EPF में निबंध एवं ESI का अद्यतन चालान की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
4. निविदादाता फर्म/संस्थान को GST में निबंधित होने का प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा एवं अद्यतन GST Return की कॉपी (माह जुलाई 2026 तक) संलग्न करना होगा।
5. PAN कार्ड एवं आधार कार्ड की स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा।
6. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सरकारी उपक्रम/निगम या किसी भी अन्य संस्थान द्वारा काली सूची अथवा डिबार नहीं होने तथा किसी आपराधिक मामलों में नाम दर्ज नहीं होने का शपथ-पत्र देना होगा (Notarized Affidavit)।
7. समरूप मामलों में कार्य करने से संबंधित न्यूनतम तीन वर्षों का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र (Annexure-C) संलग्न करना होगा।
8. निविदादाता को विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न अद्यतन वित्तीय वर्ष 2026-27 तक संलग्न करना होगा।
9. निविदादाता को अपने फर्म एजेंसी के नाम से न्यूनतम 05 (पाँच) वाहन पंजीकृत होना चाहिए, जिसकी (Annexure-A) निविदा के समय संलग्न करना होगा।
10. निविदादाता को Proprietorship/Partnership/Registered Firm/Company एवं वाहन का निबंधन पर्यटन विभाग, बिहार सरकार से होना अनिवार्य है। यदि न्यूनतम 5 वाहन एजेंसी निविदादाता /आपूर्तिकर्ता के नाम से पंजीकृत नहीं होगा, वैसी स्थिति में निविदा में भाग लेने से वंचित किया जाएगा।
11. समरूप मामलों में कार्य करने से संबंधित न्यूनतम 10 वर्षों का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र अथवा कार्यादेश की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
12. Company/firm को समरूप कार्यों में विगत 03 वर्षों के न्यूनतम वार्षिक औसत टर्नओवर 80,00,000/- (अस्सी लाख रुपये) होना चाहिए, जिससे संबंधित P/LA/C बैलेंस शीट एवं CA द्वारा प्रमाणपत्र UDIN सहित संलग्न करना होगा।
13. निविदादाता को अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत, संलग्न करना होगा।

14. निविदादाता द्वारा निविदा में दर्शाए गए सभी शर्तों को स्वीकार करने से संबंधित शपथ पत्र स्वहस्ताक्षरित संलग्न करना होगा।
15. निविदादाता तकनीकी निविदा से संबंधित सभी कागजात एक लिफाफा में रखकर उसे सील बंद करते हुए लिफाफा के ऊपर **"भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, बिहार, पटना में वाहन आपूर्ति हेतु तकनीकी निविदा"** लिखेंगे एवं वित्तीय निविदा Annexure-D में दर अंकित कर इसे एक दूसरे लिफाफा में रखकर सील बंद करते हुए लिफाफा के ऊपर **"भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, बिहार, पटना में वाहन आपूर्ति हेतु वित्तीय निविदा"** लिखेंगे, तत्पश्चात तकनीकी एवं वित्तीय निविदा को अलग-अलग लिफाफा के दाहिने साईड पता **"निबंधक, भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, बिहार, पटना"** एवं बायें साईड में फर्म का नाम अंकित करेंगे एवं दोनों लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में डालकर सील करेंगे।
16. निविदादाता सीलबंद निविदा इस तरह भेजेंगे कि प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय तक डाक प्राप्ति शाखा में निविदा प्राप्त हो जाए। अंतिम तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
17. निविदादाता भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, बिहार, पटना के डाक प्राप्ति शाखा में अंतिम तिथि एवं समय तक हाथों-हाथ भी निविदा जमा कर सकते हैं।
18. निविदादाता निविदा की शर्तों के संबंध में किसी बिन्दु पर **"निबंधक, भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, बिहार, पटना"** से कार्यालय अवधि में सम्पर्क कर सकते हैं।

(ख) वित्तीय निविदा की शर्तें :-

1. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं को वित्तीय खोलने पर विचार किया जायेगा। निविदा में भाग लेने वाले निविदादाताओं को (Annexure-D) में वाहन का मासिक दर 2000 कि०मी० प्रति माह (ईंधन एवं चालक सहित) (Without GST) देना होगा। निविदादाताओं को वाहनों का दर शब्दों एवं अंकों दोनों में अंकित करना होगा। यदि शब्दों एवं अंकों में अंकित दर में अंतर होता है, तो शब्दों में अंकित दर मान्य होगा।
2. निविदा के माध्यम से मासिक भाड़े के अंतर्गत वाहन 2000 किलोमीटर (ईंधन एवं चालक सहित) पर चयनित L1 एजेंसी को सब्संस अथवा Outstation यात्रा हेतु कार्य लिया जायेगा। निविदा में L1 दर का निर्धारण मासिक दर के आधार पर किया जायेगा, जिसमें अतिरिक्त किलोमीटर का दर L1 उद्धृत करने वाले वाले निविदादाता के दर को L1 पर विचार नहीं किया जायेगा। परन्तु मासिक दर पर चयनित L1 एजेंसी अतिरिक्त किलोमीटर के भुगतान के योग्य होंगे, जिनका निर्धारण इस निविदा के माध्यम से होगा।
3. यदि L1 चयनित एजेंसी एकरारनामे के शर्तों को पूरा करने में असफल अथवा इन्कार करते हैं, तो कार्यालय L1 दर पर चयनित एजेंसी के स्थान पर L2 अथवा L3 से L1 के दर पर एकरारनामा करने हेतु स्वतंत्र होगा L1 चयनित एजेंसी का EMD की राशि को जब्त कर लिया जायेगा।

4. प्रपत्र में निविदादाता का नाम एवं हस्ताक्षर, निविदादाता का पता एवं निविदादाता का मोबाईल नं० के साथ-साथ फर्म का मुहरांकन स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।
5. विहित प्रपत्र में उक्त सूचनाओं के स्पष्ट रूप से अंकित नहीं होने पर उनके निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. यदि वाहन हेतु कोई दर अंकित नहीं किया गया है, तो बोली को गैर-उत्तरदायी बोली माना जायेगा।

(ग) अन्य शर्तें :-

1. अनुबंध प्रारम्भ में 12 माह की अवधि के लिए होगा, जो समान एवं शर्तों पर संतोषजनक सेवाओं के आलोक में नियमानुसार आगे की अवधि बढ़ाया जा सकता है।
2. निविदादाता का प्रधान/शाखा का कार्यालय पटना में होना चाहिए।
3. निविदादाता को 01 (एक) पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) प्रतिनियुक्त करना होगा, जो हमेशा कार्यालय के सम्पर्क में रहेंगे एवं वाहन का निरीक्षक फोन/व्हाट्सएप के माध्यम से करते रहना सुनिश्चित करेंगे, कि वाहन निर्धारित समय एवं निर्धारित स्थल पर पहुँचा अथवा नहीं।
4. वाहन आपूर्तिकर्त्ता को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि एकरासनामा होने पर उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये चालक के विरुद्ध किसी प्रकार का Criminal Case/Police Records में नाम दर्ज नहीं हो।
5. आपूर्तिकर्त्ता को प्रतिनियुक्त वाहन चालकों का नाम एवं पूरा पता (Annexure-B) में संलग्न करना होगा।
6. प्रतिनियुक्त चालक के पास वाहन चलाने का न्यूनतम 03 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, जो ड्राइविंग लाईसेन्स जारी करने की तिथि से सत्यापित होना चाहिए।
7. यदि सेवा की गुणवत्ता असंतोष पायी जाती है या किसी अन्य कारणों से 15 दिनों की पूर्व सूचना देकर इस कार्यालय द्वारा अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है।
8. निविदा/बिड स्वीकार करने पर सेवा प्रदाता को अनुबंध की पूरी अवधि के मूल्य के 7.5% के समतुल्य राशि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से Fixed Deposit Receipt (FDR) अथवा बैंक गारंटी के रूप में Performance Security जमा करना होगा। Performance Security अनुबंध के पूरा होने की तिथि से कम से कम 60 दिनों की अधिक अवधि के लिए वैध रहना चाहिए।
9. एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन नये होंगे। वाहन क्रय करने की तिथि 01.01.2025 अथवा इससे ऊपर का होनी चाहिए। वाहन उस सेगमेंट में शीर्ष मॉडल का होना चाहिए एवं एयर बैग, एबीएस (ABS) आदि जैसी सुरक्षा सुविधाएँ होनी चाहिए।
10. एकरारनाम की अवधि के दौरान कार्यालय द्वारा किराये की वाहन (Hired Car) में 03 से अधिक परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेंगे। बार-बार परिवर्तन से निविदादाता का एकरारनामा रद्द होने की स्थिति में वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।

11. वाहन के परिचालन की अवधि प्रतिदिन न्यूनतम 12 घंटे होंगी। महीने में 04 दिनों की अवकाश होने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी से सहमति के पश्चात् अनुमति प्राप्त करनी होगी। पूरे माह का माईलेज 2000 कि०मी० होगा। यदि वाहन का उपयोग 01 महीने में 2000 कि०मी० से अधिक के लिये किया जाता है, तो प्रति कि०मी० अतिरिक्त शुल्क लागू हो सकता है, जो वित्तीय निविदा के Annexure में निर्धारित होगा।
12. वित्तीय निविदा में न्यूनतम दर पाये जाने के उपरांत समझौता की अवधि के दौरान डीजल/पेट्रोल की कीमत में वृद्धि अथवा अन्य अत्यावश्यकताओं के कारण किसी प्रकार के पूरक दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।
13. कभी-कभी शनिवार/रविवार एवं राजपत्रित अवकाश के दिनों में भी वाहन की आवश्यकता हो सकती है, जिसके लिये कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
14. भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, बिहार, पटना के पास निविदा रद्द करने, नियम एवं शर्तों को बदलने एवं इस निविदा से संबंधित हर तरह के निर्णय लेने का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।
15. उक्त सभी वाहन आकस्मिक चिकित्सा किट एवं अग्निशमन उपकरण के साथ सुसज्जित होने चाहिए एवं सीट पर तौलिया लगा होना चाहिए।
16. यह सुनिश्चित हो कि वाहन के विद्युत कनेक्शन, लाईट, हॉर्न, मोड सूचक लाईट, एयर कंडीशनर एवं वाहन के अन्य उपकरणीय सिस्टम अच्छी स्थिति में हो तथा समय-समय पर इसकी जाँच होनी चाहिए जिससे विभाग को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
17. वाहन को कार्यालय/पदाधिकारी/कर्मि द्वारा बताये गये नियत स्थान पर खड़ा होना चाहिए। यदि वाहन को पेट्रोल भरवाने, रिपेयरिंग इत्यादि के लिये बाहर ले जाने की जरूरत हों तो सेवा प्राप्तकर्ता को जानकारी में देकर ही ले जाना होगा, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उस समय वाहन सेवा प्राप्तकर्ता को उपलब्ध नहीं कराया गया एवं इसके लिये वाहन आपूर्तिकर्ता पर दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है।
18. वाहन में मोबाइल चार्जर तथा स्वच्छ वायु द्वारा ताजगी महसूस होने वाला यंत्र लगा होना चाहिए।
19. वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किये गये वाहन का RC, Insurance, PUC, चालक के Driving Licence एवं चारित्रिक प्रमाण पत्र की छायाप्रति कार्यालय में जमा करना होगा।
20. लॉग बुक कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये फार्मेट में ही Maintain करना पड़ेगा।
21. सफल निविदादाता को निविदा प्राप्त करने के 01 महीने के भीतर अलग से 1,000/- (एक हजार रुपये) Judicial Stamp Paper पर एक एकरारनामा करना होगा।
22. किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा पटना जिला स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होगा।

(घ) Earnest Money Deposit (EMD) जब्ती से संबंधित निर्देश :-

(क) यदि निविदादाता द्वारा Bid प्रपत्र पर निर्दिष्ट बोली वैधता की अवधि के दौरान कोई निविदादाता अपनी निविदा वापस ले लेता है।

(ख) अथवा सफल निविदादाता के मामले में यदि निविदादाता अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है।

(ग) निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर Bid document की शर्तों के अनुसार आवश्यक Performance security प्रस्तुत करने में विफल रहता है।

(घ) सेवाओं या उसके हिस्से के लिये अपने स्वयं के उद्धृत मूल्यों का सम्मान करने में विफल रहता है या अस्वीकार करता है।

(ङ) ऐसे मामले में बोली लगाने वाले के EMD की राशि जब्त करते हुए भविष्य में प्रतिबंधित (Debarred) भी किया जा सकता है।

(च) मात्रा में परिवर्तन करने का अधिकार :-

भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, बिहार, पटना के पास एकरारनामा करते समय प्रस्तावित मात्रा एवं अन्य शर्तों के किराया शुल्क में किसी भी बदलाव के बिना आवश्यकताओं के विवरण में निर्दिष्ट सेवाओं की मात्रा के अनुसार वाहन की संख्या को बढ़ाने एवं घटाने का अधिकार सुरक्षित होगा।

(च)दण्ड :-

1.वाहन के खराब रख-रखाव, अन्य आवश्यक Accessories की अनुपलब्धता अथवा चालक के लिये निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करने के संबंध में कार्यालय/पदाधिकारी से कोई भी शिकायत प्राप्त होती है, तो उस दिन के विपत्र से पहली बार में आनुपातिक आधार पर 500/-रुपये दूसरी बार में 1000/-रुपये की कटौती किया जायेगा, एवं तीसरी बार में ड्राइवर एवं/अथवा वाहन को वाहन समूह से हटाना होगा।

2.चालक के द्वारा विलम्ब से सूचना दिये जाने की स्थिति में 1000/- रुपये एवं पूरे दिन हेतु वाहन उपलब्ध न होने पर प्रतिदिन 2,000/-रुपये की कटौती की जायेगी। इसके अतिरिक्त, वाहन की अनुपलब्धता के मामले में, वैकल्पिक वाहन खुले बाजार से किराये पर लिया जायेगा एवं उस पर होने वाले व्यय वाहन आपूर्तिकर्ता के मासिक विपत्र से कटौती की जायेगी। यदि संबंधित एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराया गया वाहन नियम एवं शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो इसके लिए 1,000/- रुपये प्रतिदिन प्रति वाहन के हिसाब से जुर्माना लगाया जायेगा। यदि उपर्युक्त विषयांतर नियमित आधार पर जारी होता है, तो कार्यालय के पास वैधानिक एक महीने का नोटिस दिये बिना एकरारनामा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

प्रतिनियुक्त चालक/कर्मि का दायित्व :-

वाहन आपूर्तिकर्ता वाहन पर प्रतिनियुक्त किये जाने वाले चालक एवं कर्मि द्वारा संपादित कार्यों के लिये पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे :-

1. चालक एवं कर्मी अपना कार्य विनम्रतापूर्वक संपादित करेंगे एवं दूसरे कर्मी से भी उनका व्यवहार विनम्रतापूर्वक होगा। ऐसा नहीं होने पर प्रतिनियुक्त चालक/कर्मी पर संविदा की शर्तों के अनुसार दण्ड अधिरोपित किया जायेगा। ऐसी गलती बार-बार दोहराने पर एवं निम्नांकित व्यवहार के कारण सेवा से मुक्त कर दिया जायेगा।
(क)कार्यावधि के दौरान चालक/कर्मी का कर्तव्य से इंकार करना यदि, प्रतिनियुक्त पदाधिकारी या विभाग द्वारा सूचित किया जाता हो।
(ख) असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करना।
2. चालक के पास एक मोबाइल, वैध नम्बर के साथ होना चाहिए, जिससे कार्यालय/पदाधिकारी कभी भी संपर्क कर सके।
3. किसी भी कारणवश चालक का मोबाइल नंबर परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा कार्यालय को तुरन्त दी जानी होगी।
4. चालक अपनी कार्यावधि के दौरान हमेशा कार्यालय/संबंधित पदाधिकारी के संपर्क में बने रहेंगे।
5. चालक साफ-सुथरी वर्दी पहनेंगे, यदि भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, बिहार, पटना द्वारा नियत रंग की वर्दी पहनने का आदेश दिया जाय तो उसका अनुपालन करेंगे।
6. चालक किसी भी हालत में शराब पीकर एवं अन्य नशे में धूत होकर कार्य पर उपस्थिति नहीं होंगे (यदि ऐसा होता है तो कार्यालय को पूर्ण अधिकार होगा कि वे तुरन्त संविदा को रद्द कर दें।
7. कार्यालय द्वारा प्रतिनियुक्त चालक/कर्मी के व्यवहार एवं उनकी वर्दी के संबंध में कोई आरोप सूचित किया जाता है तो वाहन आपूर्तिकर्ता इसे गंभीरतापूर्वक लेंगे एवं इसपर अविलम्ब समुचित कार्रवाई करेंगे।
8. अतिथियों के साथ अनावश्यक बात-चित एवं कार चलाने के समय मोबाइल का उपयोग स्वीकार्य नहीं होगा। आकस्मिक स्थिति में चालक आदेश लेकर वाहन किनारे खड़ा कर मोबाइल का उपयोग कम से कम समय के लिये कर सकते हैं।
9. कार्यालय द्वारा जैसे ही चालक को किसी अतिथि के समक्ष उपस्थित होने या उन्हें Attend करने का निर्देश दिया जाता है, तो चालक अतिथि को अपने मोबाइल नम्बर एवं वाहन नम्बर की सूचना फोन कर या SMS पर होने वाला खर्च वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा।
10. चालक एवं वाहन को तुरन्त-तुरन्त बदली नहीं किया जाना होगा। संबंधित बदलाव की सूचना पूर्व में ही वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा दी जानी होगी।

नियमों का अनुपालन एवं कर :-

1. किराया चार्ज में सभी ईंधन, खर्च, अनुरक्षण कल-पुर्जों सहित एवं चालक तथा कर्मी का वेतन, बीमा का प्रीमियम, सड़क टैक्स आदि सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त राज्य के बाहर

वाहन पर लगने वाला कर का भुगतान कार्यालय द्वारा वास्तविक भुगतान रसीद के आधार किया जायेगा।

2. वाहन आपूर्तिकर्ता प्रतिनियुक्त वाहन का व्यापक बीमा Third Party असीमित रिस्क के साथ लेगा। कार्यालय किसी भी दुर्घटना, आम जनता एवं Third Party को होने वाले नुकसान के लिये जिम्मेवार नहीं होगा।
3. वाहन आपूर्तिकर्ता Third Party द्वारा किया गया दावा/वाहन दुर्घटना में वाहन पर सवार भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, बिहार, पटना के पदाधिकारियों/कर्मियों को होने वाले नुकसान के लिये पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे।
4. वाहन चालक द्वारा सड़क सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करना/अन्य किसी भी नियमों का पालन नहीं करने की स्थिति में चालक तथा वाहन आपूर्तिकर्ता मोटर वाहन कानून के नियम एवं अधिनियम का पूर्णरूपेण अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे तथा वर्तमान एवं भविष्य में आने वाले सभी नियम एवं अधिनियमों का पालन करेंगे। किसी भी नियम एवं अधिनियम के उल्लंघन/त्रुटि के लिए कार्यालय जिम्मेवार नहीं होगा।
5. वाहन आपूर्तिकर्ता श्रम कानून विशेष कर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम, भविष्य निधि, राज्य कर्मचारी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, Contract Labour (R&A) Act, Workman Compensation Act etc. का अनुपालन यथा समय सुनिश्चित करेंगे। वाहन आपूर्ति के कर्मी/चालक कार्यालय के कर्मी नहीं माने जायेंगे। अतः उपर्युक्त नियमों का पालन कराना वाहन आपूर्तिकर्ता की जिम्मेवारी होगी।
6. चालक के द्वारा किसी भी तरह की दुर्व्यवहार इत्यादि के लिये वाहन आपूर्तिकर्ता किसी भी स्थिति में व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवारी होगी।
7. संविदा अवधि के दौरान यदि वाहन को आरक्षी/मोटर वाहन अधिकारी या अन्य किसी अधिकारी द्वारा जब्त किया जाता है या रोक कर रखा जाता है तो इसकी जिम्मेवारी वाहन आपूर्तिकर्ता की होगी। ऐसी स्थिति में वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था प्रतिनियुक्त वाहन के अनुरूप या इससे उच्च श्रेणी का वाहन कार्यालय को बिना किसी अतिरिक्त खर्च के अविलम्ब उपलब्ध कराया जायेगा।
8. भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, बिहार, पटना द्वारा वाहन को कार्य के लिए प्रतिनियुक्त किये जाने की स्थिति में वाहन पर भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, बिहार, पटना के कर्मी के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को ले जाना प्रतिबंधित होगा। वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा यात्रियों की सुरक्षा, चालक की अनदेखी, तेज गति एवं अनियमित चालन, खराब ब्रेक/ब्रेक फेल जैसी कृत्य नहीं करना सुनिश्चित की जायेगी।
9. वाहन आपूर्तिकर्ता आपूर्ति किये गए वाहन को किसी भी स्थिति में कार्यालय के निर्देश के बिना किसी अन्य कार्य हेतु प्रयोग नहीं करेंगे। जितने दिन के लिये ऐसा करते पाये जायेंगे उससे दोगुने दिन के लिए Pro-Rata Basis पर मासिक भाड़ा में से दण्ड स्वरूप राशि की कटौती की जायेगी।

10. प्रतिदिन विभाग द्वारा निर्देशित स्थान पर वाहन के पहुँचने पर परिचालन हेतु कि०मी० की गणना आरंभ कर कार्यालय द्वारा कार्य समाप्त होने के उपरांत वाहन को रात्रि ठहराव हेतु जाने का निर्देश प्राप्त होने तक ही परिचालित कि०मी० की गणना की जायेगी। किसी भी स्थिति में शाम को कार्य स्थल, रात्रि ठहराव स्थल पर वाहन को ले जाने एवं सुबह में रात्रि ठहराव स्थल से कार्यस्थल तक पहुँचने में परिचालित यात्रा का भुगतान भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, बिहार, पटना द्वारा नहीं किया जायेगा और ना ही उसे लॉग बुक में अंकित किया जायेगा।
11. वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा चालक को राज्य मोटर वाहन अधिनियम (अद्यतन संशोधित) के आलोक में वर्दी एवं फोटो पहचान पत्र अपने खर्च पर उपलब्ध कराया जायेगा।
12. भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, बिहार, पटना की माँग पर वाहन आपूर्तिकर्ता वाहन Tracking System उपलब्ध करायेंगे एवं यात्रा का रिकॉर्ड/डाटा आगमन से प्रस्थान तक माइलेज के साथ उपलब्ध करायेंगे। माइलेज की गिनती यात्रा आरंभ स्थान से की जायेगी न की कोई अतिरिक्त स्थान से।
13. वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा बिल जो नियमों एवं शर्तों के आलोक में हो समर्पित किया जायेगा एवं भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, बिहार, पटना वाहन आपूर्तिकर्ता को बिल की राशि में, यदि दण्ड स्वरूप कोई कटौती किया जाना आवश्यक हो, उसकी कटौती करते हुए भुगतान करेगा।
14. Toll Tax, Octroi, Parking Charges And Other Statutory Levies जो यात्रा के दौरान प्रभावी हों, का भुगतान भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, बिहार, पटना द्वारा प्रस्तुत बिल/कैश मेमो/मान्य साक्ष्य के आधार पर किया जायेगा।

अतिरिक्त कि०मी० का भुगतान :-

1. यात्रा की दूरी की गिनती यात्रा आरंभ के स्थान से की जायेगी। यात्रा के लिए गैरेज से या गाड़ी के रात्रि में जहाँ रखा जाता है वहाँ से यात्रा आरंभ की दूरी का भुगतान नहीं किया जायेगा।
2. प्रतिदिन नियत समय पर पदाधिकारी/कर्मि जब वाहन को कार्यालय कार्य के लिए व्यवहार करना शुरू करेंगे उस समय का कि०मी० संख्या लॉग बुक में दर्ज करेंगे एवं शाम को कार्यालय कार्य समाप्त होने के उपरांत पुनः कि०मी० संख्या लॉग बुक में दर्ज करके संबंधित पदाधिकारी/कर्मि का हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे।
3. वाहन आपूर्तिकर्ता साप्ताहिक अवकाश एवं राजकीय अवकाश के दिनों में भी आवश्यकता पड़ने पर एवं सूचित किये जाने पर वाहन को परिचालित करने हेतु चालक का वैकल्पिक व्यवस्था रखेंगे। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किये जाने की स्थिति में कार्यालय द्वारा किसी अन्य माध्यम से वाहन की व्यवस्था की जायेगी एवं ऐसा करने पर जो खर्च आयेगा उस राशि की वसूली वाहन आपूर्तिकर्ता को दिये जाने वाले मासिक भुगतान की राशि से की जायेगी।

4. वाहन आपूर्तिकर्ता एवं संस्थान के किसी व्यक्ति का नोडल पदाधिकारी नियुक्त करेंगे जिनसे भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, बिहार, पटना द्वारा संपर्क किया जायेगा।
5. वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, बिहार, पटना के कार्यालय में उपस्थिति पंजी रखी जायेगी, जिसपर चालक द्वारा प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज किया जायेगा एवं प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को चालक अद्यतन लॉग बुक भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, बिहार, पटना के प्रतिनिधि के समक्ष जाँच हेतु प्रस्तुत करने में विफलता की स्थिति में प्रतिदिन 100/-रुपया के दर से मासिक भाड़े में से कटौती की जायेगी।
6. जब भी जितनी संख्या में वाहन की मांग की जायेगी, फर्म/संस्था का उतनी ही संख्या में निर्धारित समय के अंदर मांग के अनुरूप वाहन उपलब्ध कराना होगा।

नोट :- कार्य अवधि के दौरान वाहन के दुर्घटना होने, वाहन में खराबी होने एवं अन्य किसी भी कारण से वाहन परिचालन में बाधा उत्पन्न होने पर सारी जवाबदेही आपूर्तिकर्ता की होगी। शीघ्र वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था कर संबंधित को वाहन उपलब्ध कराना होगा।

Annexure-A

(वाहनों का विवरण)

(न्यूनतम पाँच (05) वाहनों का विवरण आवश्यक, जिसमें RC, Insurance & Pollution संलग्न की जाय।)

क्र० सं०	पंजीकरण सं०	स्वामित्व	मेक एवं मॉडल	मैनुफैक्चरिंग तिथि	इन्सूरेंस संख्या एवं वैधता की तिथि	पी०यू०सी०संख्या एवं वैधता की तिथि
1						
2						
3						
4						
5						

निविदादाता का हस्ताक्षर.....

निविदादाता का नाम.....

मुहर.....

Annexure-B

(नियमित चालकों का विवरण)
(न्यूनतम पाँच चालकों का विवरण आवश्यक)

क्र० सं०	चालक का नाम	लाइसेंस संख्या	जारी करने वाला ऑथरिटी	जारी करने की तिथि	बैध तक	निजी/व्यवसायिक
1						
2						
3						
4						
5						

निविदादाता का हस्ताक्षर.....

निविदादाता का नाम.....

मुहर.....

Annexure-C

(अनुभव विवरणी)

(पूर्णता प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)

क्र० सं०	आउटसोर्सिंग/किराये पर लेने वाले का नाम	नियुक्ति अवधि	आपूर्ति वाहनों की संख्या	स्मापन प्रमाण पत्र तिथि
1				
2				
3				
4				
5				
अनुभव प्रमाण पत्र उस तिथीय वर्ष के लिये मान्य होगा, जिसमें न्यूनतम 07 माह की सेवा प्रदान की गयी हो।				

निविदादाता का हस्ताक्षर.....

निविदादाता का नाम.....

मुहर.....

Annexure-D
भाड़े पर आपूर्ति हेतु वित्तीय निविदा का प्रपत्र

वाहन का मासिक दर (ईंधन एवं चालक संहित)			
1	वाहन का विवरण	2000 कि०मी० प्रति माह (Without GST) (A)	2000 कि०मी० के बाद प्रति कि०मी० दर (Without GST) (B)
2	इनोवा क्रिस्टा	@Rs-----	@Rs-----
3			
4			
5			
अनुभव प्रमाण पत्र उस वित्तीय वर्ष के लिये मान्य होगा, जिसमें न्यूनतम 07 माह की सेवा प्रदान की गयी हो।			

निविदादाता का हस्ताक्षर.....

निविदादाता का नाम.....

मुहर.....